Result Mitra Daily Magazine

GST and GST Council

हालिया सन्दर्भ -

- हाल ही में 22 जून को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने 53 वीं वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की बैठक की अध्यक्षता की।
- GST परिषद की इस बैठक में दूध के डिब्बे एवं सोलर कुकर जैसी वस्तुओं पर कर (Tax) की सिफारिश की गई थी। हिमाचल एवं जम्मू कश्मीर के सेब किसानों को राहत देते हुए सेब के डब्बों पर GST, 18% से घटाकर 12% करने की घोषणा की गई।
- GST परिषद की इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्री सहित बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री ने भाग लिया।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्या है?

- वस्तु एवं सेवा कर यानी Goods and Service Tax (GST) वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया अप्रत्यक्ष टैक्स है।
- वस्तु एवं सेवा कर (GST) को पहली बार 28 फरवरी 2006 को बजट भाषण के रूप में संसद में पेश किया गया जो 1 जुलाई 2017 को गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स अधिनियम के रूप में पूरे देश में लागू हुआ।

Result Mitra

GST का इतिहास -

- वर्ष 2000 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने पहली बार वस्तु एवं सेवा कर (GST) की अवधारणा प्रस्तुत की तथा इस नए प्रत्यक्ष कर का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया।
- वर्ष 2006 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने GST को पहली बार अपने बजट भाषण में पेश किया जिसमें इसे 1 अप्रैल 2010 तक पूरे भारत में लागू करने की बात कही गई।
- वर्ष 2010 में GST के संरचनात्मक एवं कार्यान्वयन संबंधी समस्या के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका।
- वर्ष 2013 में GST के क्रियान्वयन के लिए बनाई गई स्थाई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- वर्ष 2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने संसद में संशोधित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक प्रस्तुत किया।
- वर्ष 2015 में इस विधायक को लोकसभा से मंजूरी मिली तथा वर्ष 2016 में राज्यसभा में पारित होने के साथ इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई।
- अंततः 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर विधेयक कानून के रूप में पूरे देश में लागू हो गया।

GST के तहत सम्मिलित करों (Taxes) की सूची -

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून को 'एक राष्ट्र एक कर' (One Nation One Tax) के उद्देश्य से देश में मौजूद कई अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर 'एक कर' के रूप में पेश किया गया।

Result Mitra

- 'एक राष्ट्र एक कर' की उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं पर एक केंद्रीकृत और एकीकृत कर प्रणाली लागू करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर कानून लागू किया गया।

GST के अंतर्गत एकीकृत किए गए विभिन्न कर के इस प्रकार हैं:-

- केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, प्रतिपूरक शुल्क आदि शामिल है।
- राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष करों में राज्य वैट, लक्जरी टैक्स, विज्ञापनों पर कर, प्रवेश कर और चुंगी शुल्क, क्रय कर, सट्टा, लॉटरी और जुए पर कर, मनोरंजन कर, उपकार और अधिकार से संबंधित वस्तुएं और सेवाएं कर को GST के दायरे में रखा गया।

GST के प्रकार -

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) को इसमें शामिल लेन-देन के आधार पर इसे चार भागों में विभाजित किया गया है।

1. राज्य माल एवं सेवा कर (SGST)

- यह राज्य के अंदर सेवाओं एवं उत्पादों की बिक्री पर लागू कर है।

2. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST)

- GST का यह प्रकार अंतर राज्यीय उत्पादों की आपूर्ति पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है।

3. संघ शासित प्रदेश माल एवं सेवा कर (UTGST)

- GST का यह प्रकार केंद्रशासित प्रदेशों की उत्पादों और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर है।

4. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST)

GST की दरें -

- वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा 5 तरह की कर निर्धारित की गई है जो 0%, 5%, 12%, 18% एवं 28% के रूप में है।
- बहुत सारी वस्तुएं जिन्हें वस्तु एवं सेवा कर के तहत छूट दी गई है उन पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगता है।
- संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279 (A) के तहत जीएसटी परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष के रूप में तथा केंद्र से केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) शामिल हैं।
- इस अलावे इस परिषद में प्रत्येक राज्य द्वारा एक प्रभारी मंत्री को इस परिषद में नामित करने की अनुमति देता है।

Result Mitra

स्थापना का उद्देश्य -

- संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279 के अनुसार जीएसटी से परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर संघ और राज्यों को सिफारिश करना है जिनमें वस्तुओं एवं सेवाओं को GST के तहत लगने या GST से छूट देने की सिफारिश से शामिल हैं।
- यह परिषद GST से संबंधित विभिन्न स्लैब दरों को कुछ उत्पाद श्रेणियों के लिए संशोधित करने की आवश्यकता पर भी निर्णय लेती है।
- GST परिषद की पहली बैठक 22 दिसंबर 2016 को हुई थी।

GST कानून लागू करने वाले अन्य देश -

- वर्तमान में विश्व के 145 से अधिक देशों में GST लागू है जिनमें कनाडा, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, इटली, ब्राजील, दक्षिण कोरिया सहित कई देश हैं।
- वर्ष 1954 में GST लागू करने वाला 'फ्रांस' दुनिया का पहला देश है।

Result Mitra